न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 102/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/163

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी :–
भरत पटेल पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी निम्बली पटेलान, तहसील रोहट जिला पाली हाल सरपंच ग्राम पचांयत रोहट, जिला पाली		मेहबूब खां कसाई पुत्र मेहमूद खां, जाति कसाई मुसलमान, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2596 दिनांक 05.05.2003 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी का जैर आराजी पर पुराना गृह का कब्जा मानते हुए नियम 157 के तहत गलत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर राजस्व हानि की है। ग्राम पंचायत रोहट द्वारा अखबार में आम सूचना प्रकाशित करवाकर ग्राम रोहट के खसरा संख्या 779 में व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर आगाह किया कि उक्त भूमि पर बारिश में गंदा पानी डूब क्षेत्र होने के कारण शामिल हो जाता है। उक्त डूब क्षेत्र में चारो ओर के कॉलोनी वासी द्वारा घर का गंदा पानी व सीवरेज लाईन तक नाडी मे छोड देने के कारण उक्त गुच्छीनाडी में मानव जीवन व स्वास्थ्य के लिए घातक होने के उपरान्त भी सभी अतिक्रमियों को नियम विरूद्ध जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिन्हे 15 दिवस के भीतर स्वतः अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये एवं दिनांक 13.08.2021 से पूर्व अपना पक्ष पेश करने के लिए कहा था, समय सीमा गुजर जाने के बाद ग्राम पंचायत ने जनहित में उक्त गुच्छी नाडी को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रस्ताव जारी किया था। जिस पर अतिक्रमियों के उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी होना जाहिर किया। जिसके संबध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के दस्तावेजों की जांच करने पर पाया कि गुच्छी नाडी में जारी पट्टे से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही थे। तत्कालीन सरपंच ने गुच्छी नाडी में 13 पट्टे जारी किये जो पंचायत राज अधिनियमों के विरूद्व है। जैर निगरानी पट्टे पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 के तहत जारी किये गये है जिनमें पुराने गृहों का विनियमित किया जाना है जबकि उपरोक्त प्रकरण में उक्त भूखण्ड पर पुराने गृह होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। नियम 148 के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाने के संबध में किसी प्रकार का हवाला नही है न ही किसी प्रकार की मिसल कायम की गई है। आक्षेप नोटिस कब व कहां चस्पा किया गया, इस बाबत् नोटिस की पुश्त पर कोई वर्णन दर्ज नहीं है। ऐसा नोटिस प्रस्तावित भूमि/मकान पर दो मौतबिरानों की मौजूदगी में चस्पा किया जाना और 30 दिवस का नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है लेकिन जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय उक्त प्रक्रिया नही अपनायी गई जो नियम 148 का उल्लघन एवं विधि प्रावधानों के विपरीत है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने के लिए किसी प्रकार की मिसल कायम नही की न ही जैर निगरानी भू-खण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य हो रखा है न ही पट्टा धारक या उसका परिवार वहां निवास करता है लेकिन ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो काबिल खारिज है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी में प्रार्थी पीड़ित पक्ष नहीं है। अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा है व ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए विधिनुसार ही जारी किया गया है। तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट दिनांक 28.11.2023 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 779 किस्म गै.मु. आबादी रकबा 37.5386 हैक्टेयर में स्थित है तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय भी उक्त भूमि आबादी भूमि ही थी। अतः प्रार्थी द्वारा आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2596 दिनांक 05.05.2003 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी आराजी खसरा नम्बर 779 में (गुच्छी नाडी) पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने दिनांक 22.07.2021 को आम सूचना प्रकाशित कर 15 दिवस के भीतर स्वतः अतिक्रमण हटाने अथवा दिनांक 13.08.2021 तक अपना क्लेम पेश करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर अप्रार्थी ने उक्त आराजी पर दस्तावेज के सम्बन्ध में केवल पट्टे की छायाप्रति पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत रोहट की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के अुनसार जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है और न ही उक्त पट्टा ग्राम पंचायत रोहट से जारी हो रखा है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी नहीं किया गया है तो प्रथम दृष्टया उक्त पट्टा अनियमित तरीके से जारी किये जाने का संशय उत्पन्न करता है, जिस कारण जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध प्रतीत होने से खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि तहसीलदार, रोहट की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.11.2023 अनुसार ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे की भूमि खसरा नम्बर 779 की किस्म गैर मुमकिन आबादी है जिसकी ताईद जमाबन्दी सम्वत् 2078-2081 अनुसार होती है। ग्राम पंचायत रोहट की रिपोर्ट के अुनसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर बारिश का गंदा पानी शामिल होने से नाडी का रूप ले लिया है अर्थात् मौके पर नाडी (गुच्छी नाडी) बनी हुई है, जिसमें बरसात एवं सिवरेज लाईनो का गंदा पानी आता है, जो अब्दुल रहमान प्रकरण को भी परिलक्षित करता है। यदि मौके पर नाडी बनी हुई है तो उसमें पट्टा जारी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लिहाजा यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

साथ ही ग्राम पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार जैर निगरानी आराजी पर बारिश का गंदा पानी शामिल होने से नाडी का रूप ले लिया है तथा इसके चारो और बसी हुई आबादी के गंदे पानी व सीवरेज लाईन को भी इस नाडी के अन्दर छोड दिया है जिससे उक्त नाडी में मच्छर व कई तरह के जीव जन्तु पनप रहे है, जो मानव जीवन व स्वास्थ्य के लिये घातक है एवं उक्त गंदे पानी की डुब क्षेत्र की साफ सफाई कर इसे अतिक्रमण से मुक्त करने का भी प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 22.07.2021 ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया। चुकि जैर आराजी वर्तमान में नाडी होने से मानव जीवन व स्थास्थ्य के लिये हानिकारक है तो ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का पट्टा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2596 दिनांक 05.05.2003 को अपास्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत रोहट को निर्देशित किया जाता है कि यदि अतिक्रमियों का कही पर आवास नहीं है तो विभाग द्वारा समय–समय पर प्रदत्त दिशानिर्देशों की पालना में अतिक्रमियों को अन्यत्र किसी स्थान पर नियमानुसार पट्टा दिये जाने की कार्यवाही करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत रोहट को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली